भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 194

10 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेवाई को वर्ष 2023 से आगे बढ़ाने के परिणाम

194. श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक्:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को जनवरी 2024 से और आगे बढ़ाने के क्या परिणाम रहे; और

(ख) लाभार्थी परिवारों के लिए भोजन पर जेब से होने वाले खर्च में कितनी कमी आई?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 194 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और गरीबों की सहायता के लिए इस कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को दिनांक 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया।

लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और लक्षित आबादी के लिए खाद्यान्न की सुलभता, वहनीयता और उपलब्धता के रूप में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने तथा राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, पीएमजीकेएवाई योजना के तहत दिनांक 1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों तक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था।

भारत सरकार इस राष्ट्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करके उन्हें भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। यह योजना पूरे देश में एक समान मूल्य और मात्रा के साथ एक एकीकृत संस्थागत तंत्र भी प्रदान करती है तथा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों की कठिनाइयों को दूर करती है।

अंत्योदय योजना के तहत एक परिवार के लिए 35 किलो चावल की आर्थिक लागत 1461 रुपये आती है, जबकि 35 किलो गेहूं की लागत 1043 रुपये आती है। यह खर्च केंद्र सरकार द्वारा पीएमजीकेएवाई योजना के तहत वहन किया जाता है और इन परिवारों को पूर्णतया निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, निःशुल्क खाद्यान्न के कारण राशन कार्ड धारकों की काफी मासिक बचत होती है।
